

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका सं० — खा०/९/२३३/२०१६-१७

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 द्वारा खादी पुनरुद्धार योजना में स्थित संस्था/समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कटाई कार्य करती है। उन्हें 600 नग कटिया चरखा आवंटित किया गया है। 600 नग चरखा संस्थाओं द्वारा कय किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा कटिया चरखा के लागत की 50 प्रतिशत राशि क्रमशः बोर्ड ज्ञापांक खा०/०९ दिनांक-27.04.2017 एवं बोर्ड ज्ञापांक खा०/२८ दिनांक-29.05.2017 द्वारा स्वीकृति के उपरान्त RTGS के माध्यम से भुगतान किया गया है। शेष राशि का भुगतान संस्था/समितियों द्वारा कटिया चरखा कय कर लिये जाने एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के द्वारा कटिया चरखा के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता के जाँचोपरान्त (40 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया जाना है। 10 प्रतिशत राशि स्वयं खादी संस्था/समिति द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन किया जाना है।

02. 17 संस्थाओं को उपलब्ध करायी गई 600 नग कटिया चरखा कय करने एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के द्वारा कटिया चरखा के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता के जाँचोपरान्त निम्नलिखित खादी संस्थाओं को (40 प्रतिशत) की राशि मो० 9,14,850.00 (नौ लाख चौदह हजार आठ सौ पचास) रुपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	संस्था/समिति का नाम	आवंटित चरखा की सं०	चरखा की कुल कीमत	संस्था को 40 प्रतिशत भुगतेय राशि की स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	रेशम खादी विकास सहयोग समिति लि०, खरमनचक, भागलपुर।	40	1,71,000.00	68,400.00
2	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-बैराघाट, पो०-सुगौना, भाया-राजनगर, मधुबनी।	35	1,49,625.00	59,850.00
3	कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्थान, अंसारी टोला, भगवानपुर, पो०-सुगौना, भाया-राजनगर, मधुबनी।	25	1,06,875.00	42,750.00

ज्ञापांक - स्वा/155

पटना, दिनांक-08/11/2017

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - स्वा/155

पटना, दिनांक- 08/11/2017

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - स्वा/155

पटना, दिनांक- 08/11/2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

क्र०	संस्थान/समिति का नाम	आवंटित चरखा की सं०	चरखा की कुल कीमत	संस्था को 40 प्रतिशत भुगतान राशि की स्वीकृति
1	2	3	4	5
4	सादिक ग्राम विकास संस्थान, ग्राम-धनपोस्ट, पो०+थाना-पण्डौल, मधुबनी	25	1,06,875.00	42,750.00
5	राजिक खादी ग्रामोद्योग संघ, प्रधान कार्यालय, ग्राम-शिवा, पो०- गनौली, भाया अंधरादाही मधुबनी	30	1,28,250.00	51,300.00
6	आशिक शिक्षित बेरोजगार विकास संघ, हबिब मंजिल, बार्ड नं०-9 मोमिन टोला, पो०-मधुबनी	25	1,06,875.00	42,750.00
7	आदर्श महिला विकास सहयोग समिति, भागलपुर।	20	85,500.00	34,200.00
8	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, दरियापुर, भागलपुर।	70	2,99,250.00	1,19,700.00
9	ग्राम स्वराज्य संघ, बरियारपुर, मुर्गेर।	25	1,06,875.00	42,750.00
10	उग्र नारायण खादी ग्रामोद्योग आश्रम, मनीगाछी, दरभंगा।	20	85,500.00	34,200.00
11	मकरन्दा भण्डारिसौं ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि०, मनीगाछी, दरभंगा।	25	1,06,875.00	42,750.00
12	नाथनगर ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि०, भागलपुर	75	3,20,625.00	1,28,250.00
13	रेशम खादी उद्योग संघ, उर्दू बाजार राड, रेकाबगंज, भागलपुर	70	2,99,250.00	1,19,700.00
14	रेशम खादी सेवा उद्योग, जोगसर, भागलपुर	50	2,13,750.00	85,500.00
	कुल	535	22,87,125.00	9,14,850.00

03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुनरुद्धार योजना मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्था/समितियों को भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

05. शेष शर्त बोर्ड द्वारा निर्गत पूर्व कार्यालय आदेश के अनुसार रहेगी।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी